सं. ए. 60011/30/2017/एचआरपीसी/141 दिनांक: 15.03.2019

क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
उत्तरी/पश्चिमी/पूर्वी/दक्षिणी/उत्तर-पूर्वीक्षेत्र
नईदिल्ली/मुंबई/कोलकाता/चेन्नई/गुवाहाटी

कार्यपालक निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
रे.नि.वि.ए./उ.नि.ए,
नई दिल्ली

विमानपत्तन निदेशक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
कोलकाता/चेन्नई हवाईअड्डा

निदेशक
भारतीय विमानन अकादमी
नई दिल्ली

प्रधानाचार्य,
नागर विमानन प्रशिक्षण महाविद्यालय (सीएटीसी)
बमरौली, इलाहाबाद

महाप्रबंधक
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
के.रे.भं.डि./वि.एवं यां. कार्यशाला
नई दिल्ली

नि.मा.सं.प्र.परिपत्र सं. 16/2019: संशोधित भाविप्रा चिकित्सा नीति - गैर कार्यपालक

भाविप्रा गैर कार्यपालकों (सेवारत तथा सेवानिवृत) के लिए मौजूदा चिकित्सा नीति में आंशिक संशोधन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने मौजूदा चिकित्सा नीति में निम्नलिखित संशोधन / परिवर्धन अनुमोदित किए हैं :

1 **भाविप्रा गैर कार्यपालकों के लिए ओपीडी चिकित्सा उपचार:**

1.1 सेवारत और सेवानिवृत भाविप्रा गैर कार्यपालकों के पास नीचे उल्लिखित योजनाओं में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा । कर्मचारी के पास प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पहले महीने में वांछित विकल्प जमा करने का विकल्प होगा । वित्तीय वर्ष के लिए एकबार विकल्प फ्रीज होने के बाद इसे केवल अगले वित्तीय वर्ष में बदला जा सकता है ।

1.2 **योजना- ए**

सेवारत और सेवानिवृत भाविप्रा गैर कार्यपालकों के पास योजना ए चुनने का विकल्प होगा जिसमें वह बिल प्रस्तुत करने पर अपनी अधिकतम वार्षिक सीमा पात्रता तक चिकित्सा प्रतिपूर्ति के हकदार होंगे । उनकी अधिकतम वार्षिक सीमा निम्नानुसार है:

1.2.1 **सेवारत गैर कार्यपालकों के लिए:**

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में)
एनई 1	25000-74500	34500
एनई 2	27000-80500	39100
एनई 3	28000-85000	43700
एनई 4	31000-92000	46000

एनई 5	33000-99000	50600
एनई 6	36000-110000	55200
एनई 7	37000-115000	59800
एनई 8	39000-120000	64400
एनई 9	39500-138000	69000
एनई 10	40000-139000	69000

1.2.2 **सेवानिवृत्त गैर कार्यपालकों के लिए:**

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में)
एनई 1	25000-74500	18630
एनई 2	27000-80500	20700
एनई 3	28000-85000	22770
एनई 4	31000-92000	24840
एनई 5	33000-99000	26910
एनई 6	36000-110000	28980
एनई 7	37000-115000	33120
एनई 8	39000-120000	35190
एनई 9	39500-138000	37260
एनई 10	40000-139000	37260

1.3 **योजना बी:**

1.3.1 सेवारत गैर कार्यपालक एम्पलॉय सेल्फ-सर्विस (ई एस.एस.) पोर्टल में स्व-प्रमाणन के आधार पर ओपीडी प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं (नीचे बताए अनुसार) । इसकी वार्षिक अधिकतम सीमा स्कीम ए में उल्लिखित उनकी पात्रता के अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा राशि के **80%** तक सीमित है । यह राशि स्व-प्रमाणन के आधार पर त्रैमासिक आधार पर दी जाएगी ।

सेवारत गैर कार्यपालकों के लिए

स्तर	01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान	अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में) (स्कीम ए का 80%)
एनई 1	25000-74500	27600

एनई 2	27000-80500	31280
एनई 3	28000-85000	34960
एनई 4	31000-92000	36800
एनई 5	33000-99000	40480
एनई 6	36000-110000	44160
एनई 7	37000-115000	47840
एनई 8	39000-120000	51520
एनई 9	39500-138000	55200
एनई 10	40000-139000	55200

1.3.2 इसी तरह सेवानिवृत गैर कार्यपालक भी स्व-प्रमाणन के आधार पर ओपीडी प्रतिपूर्ति का विकल्प चुन सकते हैं जिसकी वार्षिक अधिकतम सीमा स्कीम ए में उल्लिखित उनकी पात्रता के अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा राशि के **80%** तक सीमित है । यह राशि स्व-प्रमाणन के आधार पर त्रैमासिक आधार पर तथा बिल प्रस्तुत किए बिना दी जाएगी ।

सेवानिवृत्त गैर कार्यपालकों के लिए

स्तर	**01.01.2017 से प्रभावी वेतनमान**	**अधिकतम वार्षिक सीमा (INR में) (स्कीम ए का 80%)**
एनई 1	25000-74500	14904
एनई 2	27000-80500	16560
एनई 3	28000-85000	18216
एनई 4	31000-92000	19872
एनई 5	33000-99000	21528
एनई 6	36000-110000	23184
एनई 7	37000-115000	26496
एनई 8	39000-120000	28152
एनई 9	39500-138000	29808
एनई 10	40000-139000	29808

1.4 सेवारतऔर सेवानिवृत्त गैर कार्यपालकों के लिए दोनों योजनाओं में ओपीडी सीलिंग में प्रत्येक **वित्तीय वर्ष में 3% की वार्षिक वृद्धि** ।

1.5 स्कीम ए या स्कीम बी का विकल्प चुनने वाले सभी भाविप्रा गैर कार्यपालकों (सेवारत और सेवानिवृत दोनों) को दंत चिकित्सा तथा फिजियोथेरेपी के लिए वास्तविक बिल जमा करने पर **प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 3% की वृद्धि के साथ**

कुल 20,000/- की राशि प्रदान की जाएगी । यह राशि सेवारत और सेवानिवृत भाविप्रा गैर कार्यपालकों को प्रदान की जाने वाली स्कीम ए या स्कीम बी दोनों की वार्षिक ओपीडी अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी । लाभार्थियों द्वारा 20,000/- की उक्त राशि का पूर्ण उपयोग किए जाने के बाद आगे कोई राशि प्रदान नहीं की जाएगी और दंत चिकित्सा तथा फिजियोथेरेपी के लिए किए गए अन्य सभी खर्च ओपीडी सीमा के भीतर ही वहन किए जाएंगे ।

1.6 जीर्ण रोग (Chronic Disease) व्यय सहित वास्तविक व्यय के अनुरुप परामर्श शुल्क / सभी दवाएं / टीकाकरण / पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर / विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह पर निर्धारित पैकेज सहित सभी टेस्टओपीडी की सीमा में स्वीकार्य होंगे ।

1.7 आश्रित संबंधी शर्तों पर विचार करने के लिए, सभी स्रोतों से परिवार के सदस्यों की वित्तीय आय सीमा (पेंशन, पेंशन या वजीफा आदि पर अस्थायी वृद्धि सहित) **9,000/-रुपये** तक बढ़ाई जाती है । वित्तीय सीमा को परिभाषित करने के लिए पेंशन महंगाई भत्ते को छोड़ कर है ।

2 <u>पैथोलॉजिकल टेस्ट / इमेजिंग</u>

2.1

सभी लाभार्थियों को सभी टेस्ट / इमेजिंग की प्रतिपूर्ति की अनुमति तब ही दी जाएगी, जब वे टेस्ट एन एबीएल से मान्यता प्राप्त लैब, सीजीएचएस अनुमोदित लैब तथा भाविप्रा के पैनल पर लैब द्वारा किए गए हों । प्रतिपूर्ति, वास्तविक व्यय के अनुरूप ओपीडी सीमा भीतर की जाएगी ।

2.2 500/- और उससे अधिक की लागत वाले ओपीडी टेस्ट की प्रतिपूर्ति का प्रावधान इसके द्वारा निरस्त किया जाता है ।

2.3 निम्नलिखित **उच्च लागत टेस्ट** की प्रतिपूर्ति ओपीडी की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त की जाएगी:

I. एमआरआई स्कैन
II. सीटी स्कैन
III. पीईटी स्कैन
IV. कैंसर या ट्यूमर मार्कर टेस्ट
V. न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग / टेस्ट
VI. DEXA स्कैन
VII. ओपीडी प्रक्रिया के रूप में किए जाने पर बायोप्सी (सीटी निर्देशित सहित)
VIII. ईईजी (इलेक्ट्रो- एन्सेफालोग्राम)
IX. ईआरसीपी
X. 5,000/-से अधिक राशि का कोई भी अन्य एकल परीक्षण

3 <u>जीर्णरोग</u> (Chronic Disease)

सेवारत और सेवानिवृत गैर कार्यपालक दोनों कर्मचारियों के लिए अनुलग्नक ए और बी में बताएअनुसार जीर्ण रोग की दो सूचियाँ हैं ।

3.1 अनुलग्नक ए में उल्लिखित जीर्णरोग (केवल उन्हीं सेवारत और सेवानिवृत गैर कार्यपालकों पर लागू है जिन्होंने योजना ए को चुना है, अर्थात यह योजना बी कोचुनने वालों पर लागू नहीं है)

3.1.1 अनुलग्नक ए में उल्लिखित जीर्णरोग के उपचार के लिए किए गए व्यय हेतु, पात्रता अनुसार वार्षिक अधिकतम सीमा के अतिरिक्त 40% राशि स्वीकार्य होगी बशर्ते कि सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कर्मचारियों के लिए वित्तीय वर्ष के दौरान ओपीडी व्यय की वार्षिक अधिकतम सीमा समाप्त हो गई हो।

G/

3.1.2 इलाज कर रहे चिकित्सा सलाहकार की संस्तुति पर मा.सं./प्रशासन विभाग द्वारा जारी जीर्ण रोग प्रमाणपत्र भाविप्रा के सेवारत और सेवानिवृत्त गैरकार्यपालक दोनों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

3.2 **अनुलग्नक बी में उल्लिखित जीर्ण/गंभीर रोग (किसी भी योजना अर्थात योजना ए या योजना बी को चुनने वाले सेवारत और सेवानिवृत गैरकार्यपालक दोनों कर्मचारियों पर लागू है)**

3.2.1 अनुलग्नक बी में उल्लिखित गंभीर रोगों के उपचार के लिए किया गया व्यय वार्षिक ओपीडी अधिकतम सीमा से बाहर होगा। अन्य शब्दों में, अनुलग्नक बी में उल्लिखित गंभीर रोगों के उपचार के लिए सेवारत और सेवानिवृत दोनों कर्मचारियों को 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी ।

3.2.2 इलाज कर रहे चिकित्सा सलाहकार की संस्तुति पर मा.सं. / प्रशासन विभाग द्वारा जारी जीर्ण रोग प्रमाणपत्र भाविप्रा के सेवारत और सेवानिवृत्त गैरकार्यपालक दोनों कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है।

3.3 अनुलग्नक ए और बी में सूचीबद्ध रोगों के संदर्भ में जीर्ण रोग प्रमाण पत्र संबंधित स्टेशनों पर संबंधित क्षे. का. नि. /वि. नि.के अनुमोदन से मानव संसाधन/प्रशासन निदेशालय द्वारा तथा निगमित मुख्यालय में इलाज कर रहे चिकित्सा सलाहकार/ विशेषज्ञ की संस्तुति पर का.नि. (प्रशासन) /म. प्र. (प्रशासन) द्वारा जारी किया जाएगा।

4 गृह आधारित उपचार

4.1 निम्नलिखित परिस्थितियों में, गृह आधारित उपचार प्रदान किया जाएगा जो कि ओपीडी अधिकतम सीमा के दायरे से बाहर है।

I. कोमा
II. सिर पर चोट लगने के परिणामस्वरूप सभी चार अंगों के पक्षाघात के कारण रोगी शय्याग्रस्त (bed-ridden) हो गया हो ।

4.2 गृह आधारित उपचार की शर्तें

4.2.1 केवल कर्मचारी, पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के लिए लागू।

4.2.2 यह केवल उन स्थितियों में ही स्वीकार होगा, जहाँ रोगी शय्याग्रस्त (bed-ridden) हो गया हो (अंगों का पक्षाघात/आंत्र और मूत्राशय पर नियंत्रण समाप्त होना/ नासोगैस्ट्रिक (Nasogastric) ट्यूब के माध्यम से भोजन खिलाना आदि) और रोगी आंत्रेतर (parenteral) दवा/पोषण पर हो।

4.2.3 दवाएं, इंजेक्शन, सीरिंज/सुई आदि (उपभोज्य) (consumable) का भुगतान इलाज़ कर रहे चिकित्सक की पर्ची (prescription) और खरीद वाउचर प्रस्तुत करने पर किया जाएगा। ड्रेसिंग सामग्री, डायपर, थर्मामीटर, सैनिटाइज़र, खाद्य पूरक (food supplement) आदि जैसी चीजें देय नहीं हैं।

4.2.4 घर पर नर्सिंग देखभाल की आवश्यकता के मामले में-इसकी अनुमति मेट्रो शहरों के लिए **रु 25000 / - प्रति माह** या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की दर से दी जाएगी बशर्ते कि नर्सिंग देखभाल एजेंसी और कर्मचारी के बीच समझौते का वैध पत्र प्रस्तुत किया जाए । इस समझौते में प्रतिनियुक्त किए जाने वाले नर्सिंग स्टाफ का परिचय होना आवश्यक है ।

4.2.5 अन्य शहरों के मामले में, निम्नलिखित दरों के अनुसार नर्सिंग शुल्क की अनुमति दी जाएगी

'Y' श्रेणी के शहर = रु 20,000 / -
'Z' श्रेणी के शहर = रु 17,500 / -

4.2.6 फिजियोथेरेपी सेवाओं की आवश्यकता के मामले में, इलाज़ कर रहे चिकित्सक की पर्ची (prescription) प्रस्तुत करने पर लागू सीजीएचएस दरों के आधार पर भुगतान किया जाएगा।

5 कर्मचारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच

5.1 50 वर्ष से अधिक आयु वाले गैर कार्यपालकों के लिए,अनुलग्नक- सी के अनुसार स्वास्थ्य पैकेज प्रत्येक दो वर्ष में एक बार लिया जा सकता है।

5.2 यह वार्षिक स्वास्थ्य जांच वार्षिक ओपीडी अधिकतम सीमा से इतर हैं और ये टेस्ट एनएबीएल से मान्यता प्राप्त लैब, सीजीएचएस अनुमोदित लैब तथा भाविप्रा के पैनल पर लैब द्वारा किए गए हों।

5.3 स्वास्थ्य पैकेज एक निश्चित लागत पर तय किया जा सकता है। इस संबंध में, पैथोलॉजिकल लैब और इमेजिंग केंद्रों को पैनल पर लेने के साथ प्रतिस्पर्धात्मक दरें संबंधित क्षे.का.नि. और निगमित मुख्यालय के लिए का.नि. (प्रशासन) द्वारा तय की जाएंगी।

6 भाविप्रा लाभार्थियों को कृत्रिम उपकरणों की सुविधा का लाभ उठाने की भी अनुमति होगी (मौजूदा के अतिरिक्त) जैसे: व्हील चेयर (नॉन-मोटराइज्ड, इंसुलिन पंप (केवल जुवेनाइल डीएम के मामलों में), ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेसिस (नॉन-मोटराइज्ड) और सीजीएचएस के तहत अनुमोदित अन्य कोई उपकरण। इनकी प्रतिपूर्ति लागू सीजीएचएस दरों या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, के अनुसार होगी। मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार सीजीएचएस दरों से अधिक की समस्त राशि कर्मचारी द्वारा वहन की जाएगी।

7 आईपीडी चिकित्सा उपचार

7.1 विभिन्न क्षेत्रों में दूरस्थ स्थानों के मामले में जहां चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल की सुविधाएं शहरों के बराबर नहीं हैं और अस्पतालों / नर्सिंग होम को पैनल पर लेने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, तो उत्तर-पूर्व क्षेत्र के मामले (परिपत्र ए.60011/35/2014-जीएस iii (मेडिकल) दिनांक 13 फरवरी 2017) में किए गए विशेष प्रावधान के अनुरूप, संबंधित क्षे. का. नि. द्वारा अधिकतम दो वर्ष की अवधि के लिए, अस्पतालों/नर्सिंग होम को पैनल पर लेने के लिए विचार किया जाए। ऐसे सभी मामलों में, क्षे. का. नि. कार्यालय को अपना केस तैयार करे और विधिवत व अनुशंसित प्रस्ताव को निगमित मुख्यालय के प्रस्तुत करे जिससे कि सक्षम प्राधिकारी अर्थात सदस्य-मानव संसाधन की स्वीकृति प्राप्त की जा सके।

7.2 **आंखों के उपचार के मामले में**: केवल रेटिना की बीमारियों में, जिसके लिए विशेषज्ञ सलाहकार द्वारा पारंपरिक उपचार प्रक्रियाओं की सिफारिश नहीं की जाती है, ऐसे में उपचार करने वाले चिकित्सा सलाहकार द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अधीन लेजर प्रक्रियाओं के माध्यम से उपचार की अनुमति दी जा सकती है।

7.3 आईपीडी उपचार के तहत किसी भी तरह के कॉस्मेटिक / सौंदर्यीकरण उपचार की अनुमति नहीं होगी।

8 योजना का सदस्य बनने के लिए सेवानिवृत्त गैरकार्यपालक कर्मचारी द्वारा वित्तीय योगदान:

8.1 वर्तमान लागू प्रत्येक तीन वर्ष में **रु 50/-सदस्यता नवीकरण शुल्क इस के साथ समाप्त होता है ।**

8.2 जो कर्मचारी इस योजना के जारी होने के बाद सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, वे निम्नानुसार एकमुश्त राशि का भुगतान कर भाविप्रा चिकित्सा योजना में शामिल हो सकते हैं:

स्तर	एकमुश्त राशि (INR में)
समूह डी के कर्मचारी	2000 / -
समूह सी के कर्मचारी	2700 / -
समूह बी के कर्मचारी	3500 / -

8.3 सभी सेवानिवृत्त गैर कार्यपालक कर्मचारी, जो मौजूदा चिकित्सा योजना के सदस्य हैं, उन्हें किसी भी नवीकरण शुल्क या ऊपर पैरा 8.2 में उल्लिखित एकमुश्त योगदान का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।

8.4 सभी सेवानिवृत्त गैर कार्यपालक कर्मचारी जो भाविप्रा चिकित्सा लाभ योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें प्रत्येक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में यानी अप्रैल माह में, अपने और अपने आश्रितों के लिए जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

8.5 सेवानिवृत्त गैर कार्यपालक कर्मचारी, सेवानिवृत्त चिकित्सा लाभ योजना का लाभ उठाने के उद्देश्य से परिवार के सदस्य के रूप में अपने आश्रित माता-पिता को इसमें शामिल कर सकते हैं बशर्ते वह किसी अन्य स्रोत से चिकित्सा सुविधा नहीं ले रहे हों और उनकी वित्तीय स्थिति परिवार के आश्रित सदस्य के लिए निर्धारित सीमा के अनुरूप हो ।

9 उपर्युक्त योजना **1 अप्रैल 2019** से लागू होगी ।

10 गैर कार्यपालकों के संबंध में संशोधित चिकित्सा अधिकतम सीमा अलग से जारी की जाएगी।

11 उपर्युक्त संशोधनों को छोड़कर, समय-समय पर जारी किए गए मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, अन्य सभी नियम और शर्तें यथावत रहेंगी।

(संजय जैन)
कार्यपालक निदेशक (मा. सं.)

वितरण: -

- अध्यक्ष महोदय के उ.म.प्र. (का.स.)
- सदस्य (वित्त/मा.सं./प्रचालन/योजना/एएनएस) / मुख्य सतर्कता अधिकारी के उ.म.प्र. (का.स.)
- निगमित मुख्यालय /प्रचालन कार्यालय/भाविप्रा कार्यालय परिसर में सभी विभागाध्यक्ष
- म.प्र. (सू. प्रौ.) -भाविप्रा वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु/सभी म. प्र. (मा. सं.) /म.प्र. (सैप)
- महासचिव- एएओए (आई) /एटीसी गिल्ड (आई) /आईएएआईओए/एएआई इंजी. गिल्ड (आई) / एएआई एससी एसटी एसोसिएशन
- महासचिव - एएईयू
- **नोट: विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में अंग्रेजी पाठ अधिकृत माना जाएगा।**

अनुलग्नक - ए

➢ योजना ए का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों पर लागू जीर्ण रोग (Chronic Diseases)

1.	ट्यूबरक्लोसिस	11	क्रोनिक रेनल फेलियर	21	सिस्टिक फाइब्रोसिस
2.	मेटाबोलिक रोग	12	पार्किंसन	22	सारकॉइडोसिस
3.	एपिलेप्सी	13	हाइपोथायरायडिज्म और मायक्सडेमा	23	सिस्टेमिक हाइपरटेंशन
4.	पेम्फ़िगस	14	हाइपरथायरायडिज्म (थायोटॉक्सिकोसिस)	24	कार्डिएक एरिद्मिया
5.	ब्रोंकल अस्थमा	15	ओपन एंगल ग्लूकोमा	25	ऑस्टियोपोरोसिस व सभी प्रकार का आर्थेराइटिस
6	हेपेटाइटिस - बी	16	रेटिनल डिटैचमेंट	26	क्रोन रोग
7	हेपेटाइटस- सी	17	सी ओ पी डी	27	मस्क्युलर डिस्ट्रोफी
8	नेफ़्रोटिक सिंड्रोम	18	डायबिटीज़	28	अंक्यलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस आदि
9	अल्सरेटिव कोलाइटिस	19	सिज़ोफ्रेनिया	29	एस एल ई
10	अप्लास्टिक एनीमिया	20	ब्रोंकाइटिस	30	इस्केमिक/रूमेटिक हार्ट डिसिजेस

****

अनुलग्नक - बी

निम्नलिखित गंभीर (critical) /जीर्ण (chronic) रोगों के लिए, मानव संसाधन/प्रशासन विभाग द्वारा जारी क्रोनिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर, भाविप्रा के सेवारत और सेवानिवृत्त दोनों कार्मिकों के लिए 100% प्रतिपूर्ति लागू है ।

1. किडनी डायलिसिस
2. थैलेसीमिया
3. कैंसर
4. हीमोफिलिया
5. पोस्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांट मेडिकेशन
6. सिरोसिस ऑफ लिवर
7. एचआईवी संक्रमण (एड्स)

****

अनुलग्नक – सी

50 वर्ष से अधिक आयु वाले गैर कार्यपालकों (एनई-1 से एनई-10 तक) के लिए स्वीकार्य परीक्षण (प्रत्येक दो वर्ष में एक बार)
हेमोग्राम
1. एचबी%
2. टीएलसी
3. डीएलसी: पी / एल / एम / ई / बी
4. ईएसआर
5. पेरिफेरल स्मियर
ब्लड शुगर- एफ / पीपी
लिवर फंक्शन टेस्ट
किडनी फंक्शन टेस्ट
लिपिड प्रोफाइल
कार्डिएक प्रोफाइल
1. एस. एलडीएच
2. सीके-एमबी
3. एस. सीआरपी
4. एस जी ओ टी
पी एस ए (पुरुषों के लिए)
पी ए पी स्मियर (महिलाओं के लिए)
यूएसजी –होल अब्डोमेन
ई सी जी
एक्स-रे चेस्ट
आई (फंडस) एग्ज़ामिनेशन
इको
मैमोग्राफी

****